भारत के घुमंतू नारियों का जीवन

1. डॉ. युवराज माने
2. प्रा.देवनाथ कर्डेल
हिंदी विभाग,
श्री आर.आर.पाटिल महाविद्यालय, सावलज

सारांश –

नारी समाज, मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है | आदिकाल से आज तक नारी विविध रूप में दिखाई देती है, लेकिन आज भी भारतीय समाज में नारी का एक ऐसा भी वर्ग है, जो मुख्य धारा से कोसो दूर है| जिसे हम घुमंतू कहते है | भारत में 'इदाते' और 'रेणके' आयोग के उपलब्ध अहवाल में घुमंतू जमातियों की जनसंख्या तीस करोड बताई गई हैं | इस जनसंख्या मे 15 करोड घुमंतू नारियों की है | घुमंतू नारियों का जीवन प्रतिकूल, संघर्षपूर्ण रहा है | घुमंतू नारी जीवन सभ्यता और सामाजिक विशेषता, उच्चवर्णीय, आदिवासी, दलित, पिछडी जनजाति की नारियों के जीवन की तुलनात्मक दृष्टि से अलग है | घुमंतू नारी के जीवन की समस्या हर नारी के तरफ से अलग है | आजादी के बाद भी भारतीय संविधान के अधिकार से वंचित है | भारत में जब तक नारी जीवन को सम्मान प्राप्त नहीं होता, तब तक भारत संसार में विश्व गुरू नहीं कहा जा सकता | इसलिए नारी जीवन को सम्मान मिलना चाहिए | विशेषता घुमंतू नारी को |

बीज शब्द – नारी, घुमंतू समस्या, संघर्ष, सम्मान

'घुमंतू' शब्द का अर्थ -

घुमंतू शब्द का अर्थ इधर- उधर घूमना हैं | महाराष्ट्र में विमुक्त जमाती, विमुक्त जनजाति आदि को घुमंतू कहते है | अंग्रेजी भाषा में Criminal Tribes कहते हैं ,लेकिन हिंदी साहित्य में' घुमंतू' शब्द का अर्थ है संचार करना (घूमना) है | इसके कारण आजादी के बाद भारत सरकार ने इ.स.1992 ई. में उनका नामकरण घुमंतू जमाती किया है | इस घुमंतू जमातियों का स्वंय का निवास नहीं होता उदरनिर्वाह के लिए एक गाव से दूसरे गांव, गांव से शहर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत संचार करते है | इसलिए इन्हें घुमंतू कहा जाता है |

घुमंतू नारियों के जीवन के विविध पहलू -

१. घुमंतू नारियों के उदरनिर्वाह के साधन :-

घुमंतू जमातियों के अलग-अलग समूह के अलग-अलग उदरनिर्वाह के साधन है | घुमंतू नारीवादी अभ्यासक डॉ. नारायण भोसले के मतानुसार यह "नारी कुटूंब प्रमुख के रूप में कार्य करती है यह उनकी विशेषता है"| आजादी के बाद भारत में घुमंतू नारी नर प्रधान समूह में कला के अनुसार कार्य करती है | इसमें बंदर, भालू का खेल, रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों का प्रकटीकरण, रस्सी के ऊपर चलना, दशावतारी, कठपुतलियों का खेल इसे उदरनिर्वाह का साधन मानते है | दूसरे वर्ग की घुमंतू नारियाँ कृषि के लिए अवजार निर्मिती, वनस्पती औषधी बनाना, लाख , मिट्टी के बर्तन, शिकार, गृहउपयोगी वस्तू आदि का व्यवसाय करती है | तिसरे समूह (वर्ग) की घुमंतू नारियाँ भिक्षा से उदरनिर्वाह चलाती है | चौथे वर्ग में कुछ घुमंतू नारियाँ वेश्या व्यवसाय से उदरनिर्वाह करती है |

इस तरह आजादी के 75 साल के बाद भी घुमंतू नारियाँ शोषण युक्त जीवन जी रही है, भारत के उंच्चवर्णीय नारियों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उनके पास आज वर्तमान में भी मुलभूत आवश्यकताओं के अधिकार सीमित है |

२. घुमंतू नारी जीवन की मुलभूत आवश्यकता : -

मानवी जीवन की मुलभूत आवश्यकताएँ होती है अन्न, वस्त्र और निवास | लेकिन उसके साथ शिक्षा, आरोग्य, सडक, बिजली आदि प्रमुखता से आती है | पर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत में घुमंतू नारी के जीवन का दर्जा बहुत ही निम्न

दिखाई देता है | नारी शिक्षित होने से परिवार, समाज का विकास होता है | आजादी के बाद नारियों की शिक्षा में सुधार आया है, पर आज भी समाज का एक ऐसा भी वर्ग है, जो शिक्षा से दूर है | उसमें घुमंतू नारी को स्थान नहीं मिला | वह समाज के मुख्य प्रवाह से दूर रही है | इस वर्ग को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए विविध संस्थाएँ, समाज सुधारकों के साथ महाराष्ट्र के राजर्षी छत्रपति शाहू महाराज, डॉ.कर्मवीर भाऊराव पाटिल आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है | शिक्षा की कमी, उदारनिर्वाह के साधन न होना और अपनी भूख मिटाने के लिए अनैतिक मार्गों को अपनाना आदि के कारणों से उसका लैंगिक यौन शोषण होता रहा है | आज यह स्थिति कुछ मात्र में बदल गयी है, पर उन्हें समाज के मुख्यप्रवाह में लाने के लिए शासन और संघटन को कार्यरत रहना होगा |

३. घुमंतू नारियों का भौगोलिक निवास स्थान:-

भारत में विविधता में एकता दिखाई देती है | चाहे वह भाषा में हो, रहन-सहन, उत्सव या भौगोलिकता में हो | भारतीय उपखंड में भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है, इसमें घुमंतू नारियों के समूह अलग-अलग प्रातों में संचार करते है | यह मौसम के अनुसार संचार करने की परंपरा है | भारत के झारखंड, छत्तीसगड, बंगाल, उडिसा, मिझोराम, उत्तरप्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, राज्यस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रांतो में घुमंतू जनजातियों का संचार देखने को मिलता है | घुमंतू नारियों की मातृभाषा अलग - अलग होती है, जो अपने भूप्रदेश की पहचान है | इसमें कन्नड, कानडी, वडारी, गौडी, पारधी, वैदभ्री, कैकाडी, लमानी, बंजारा आदि| इस जमातियों की 300 से अधिक बोलियाँ है| महाराष्ट्र में घुमंतू नारियों का भौगोलिक निवास स्थान नंदुरबार, हिंगोली, यवतमाळ, सोलापूर, रत्नागिरी, भंडारा, गोंदिया, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, ठाणे आदि जिलों में दिखाई देता हैं | महाराष्ट्र की यह घुमंतू जमातियाँ भारत के अन्य प्रांत में भी संचार करने के प्रमाण मिले हैं | औरंगाबाद जिले में धनगर घुमंतू चरवाह व्यवसाय के कारण गुजरात में जाने के उल्लेख भी मिलते हैं | इसमें नंदीवाले, बंजारा, लम्हानी, कैकाडी, नाथपंथी, गोसावी आदि घुमंतू जमाती महाराष्ट्र से राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड में संचार करने के प्रमाण मिले हैं | घुमंतू नारी की मातृभाषा उसकी भौगोलिक वस्ती स्थान की पहचान है |

४. घुमंतू जमाती की नारी जनसंख्या :

इ.स.1999 में इदाते अयोग का अहवाल और इ. स. २००८ मे टेक्नीकल अडवायझरी अहवाल, इ.स.२०१६ में रेणके आयोग के अहवाल नुसार घुमंतू जमाती की जनसंख्या का प्रमाण मिला है | भारत में घुमंतू जनजाति की जनसंख्या 30 करोड के आसपास है, इसमें नारियों की जनसंख्या 15 करोड है | महाराष्ट्र में घुमंतू नारियों की जनसंख्या 01 करोड के आसपास है | घुमंतू नारीवादी इतिहास अभ्यासक डॉ. नारायण भोसले ने चिकित्सा करते हुए कहा है ,"भारत की घुमंतू नारी जनसंख्या युरोपियन राष्ट्र जर्मन की जनसंख्या के समान है, और महाराष्ट्र की मुंबई की जनसंख्या कि तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है|" इस अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है, घुमंतू समाज में नर-नारी लिंग गुणोत्तर प्रमाण समान है | लेकिन आज भारतीय समाज में लिंग गुणोत्तर विषमता देखने को मिलती है | भारतीय उच्चवर्णीय नारी सुशिक्षित होकर भी उनमें सामाजिक विषमता देखने को मिलती है | लेकिन घुमंतू नारी अशिक्षित होकर भी उनमें सामाजिक समता देखने को मिलती है | इस तरह भारतीय नारी एवं घुमंतू नारी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करने से घुमंतू नारी जीवन की विशेषता अलग-अलग देखने को मिलती है | यह भारतीय नारी के लिए आदर्श है |

५. घुमंतू नारियों का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन : -

भारत में नारी जीवन के विविध रूप देखने को मिलते है, घुमंतू नारियाँ देवी देवताओं की भक्त है | यह देवता येल्लमा, महाकाली, महालक्ष्मी, कालिका, येडाबाई, तुळजाभवानी, वेताळ, खंडोबा, पीर आदि देवताओं की पूजा करती है | महाराष्ट्र की वाघ्या-मुरळी प्रथा भारत में विशेष प्रसिद्ध है | घुमंतू जमाती के अलग -अलग समुदाय अपने अलग-अलग इष्ट देवता को मानते है, इसलिए साल में एक बार यह समुदाय अपने इष्ट देवता के पास आते है | वहाँ उत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है, इस

समारंभ में युवक-युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार जातपंचायत देती है | कुछ घूमंतू लोगों का समाज का मनोरंजन करना व्यवसाय है | हिंदू परंपरा के अनुसार त्यौहार, उत्सव का भी आयोजन किया जाता है | भारत की उच्चवर्णित नारी की तुलना में घुमंतू नारी का जीवन संघर्षपूर्ण है | लेकिन कुछ विशेषता है, घुमंतू नारी कुटुंब प्रमुख के रूप में कार्य करती है | वह स्वयं निरक्षर होकर भी नृत्य, गायन कला में निपुण होती है |

६. घुमंतू नारी जीवन एवं जातपंचायत व्यवस्था : -

आज 21 वीं सदी में भारत के आदिवासी,पिछडी जनजाति में अपनी अलग न्याय व्यवस्था है | जिसे जातपंचायत कहा जाता है | जिनके अपने अलग से कायदे-कानून है | घुमंतू जमाती में भी जातपंचायत व्यवस्था है | इस जातपंचायत व्यवस्था के अलग-अलग नियम एवं कार्य विशेषता है | भारत में घुमंतू जमाती की संख्या 400 से 600 के आसपास है | हर जमाती की अलग जातपंचायत होती है, इसके कारण उनके नियम एवं कार्य करने की अलग-अलग विशेषताएँ हैं | इस जातपंचायत व्यवस्था के नियम एवं कायदों के अनुसार नारी जीवन पर निर्बंध है | जैसे विवाह प्रथा, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम के कठोर नियम एवं शासन निर्धारित किए जाते हैं | नारियों का अग्निदिव्य जैसे अघोरी प्रथाओं के माध्यम से लैंगिक यौन शोषण किया जाता है |

७. घुमंतू नारी जीवन की समस्याएं : -

घुमंतू नारियों का जीवन समस्याओं से भरा एवं संघर्षपूर्ण है | आजादी के बाद भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का अवलंब किया है | जिससे इनका जीवन बदल जाए | डॉ के.बी.अत्रोळीकर समिति की नियुक्ति भारत सरकारने इ.स.1949 में की | इस समिति ने घुमंतू नारियों का गुन्हेगारी से पुनर्वसन एवं शिक्षा, निवास, रोजगार आदि की शिफारस की थी | इसमें से इ.स.1953 में गुन्हेगारी कायदा रद्द किया | लेकिन इसका समायोजन अयोग्य पध्दति से किया गया | इ.स 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई | महाराष्ट्र शासन ने एल.बी.थाडे समिति का अध्ययन करके खानदेश एवं पश्चिम महाराष्ट्र में घुमंतू नारियों का पुनर्वसन किया था | इ.स.1971 में भारत सरकार ने पी.के मिश्रा और सी. आर. राज्यलक्ष्मी के नेतृत्व में समिति का गठन किया और घुमंतू नारी जीवन की समस्या के हल का अनुसंधान करने को कहा | घुमंतू नारी जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भारत सरकार ने इ.स.1997 और इ.स. 2008 में रेणके एवं इदाते आयोग का गठन किया था | रोजगार, निवास, भोजन, शिक्षा, बिजली, रास्ते, आरोग्य आदि समस्याओं का अहवाल भारत सरकार को पेश किया है | इसके अनुसार प्रातों ने तत्काल अवलंब किया है | इसमें महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में कार्य किया | इस समिति के अहवाल से घुमंतू नारी के जीवन में कुछ बदलाव जरुर आए है, पर वह समाज के मुख्य प्रवाह से दूर है |

21 वी सदी में जागतिकीकरण, औद्योगीकरण, नागरीकरण, खाजगीकरण, विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान का प्रभाव घुमंतू नारी के जीवन पर देखने को मिलता है | आज वर्तमान काल में घुमंतू नारियाँ नागरी औद्योगिक वसाहतियों में कामगार के रूप में काम करती है, कुछ नारियाँ संचार करके प्लास्टिक बोतल, लोहा, भंगार का संचयन करके कारखानदार को बेचकर उदरनिर्वाह करती है | जिसके कारण आज भी नारियों के लैंगिक शोषण, स्वास्थ्य की समस्याएँ बढती जा रही है | घुमंतू नर प्रधान समाज में नारी की बढती व्यसनाधीनता भी एक बड़ी समस्या है |

संदर्भ सूची -

1. नाईक शोभा, भारत के सर्दभ में नारीवाद, मुंबई, 2007
2. परदेशी प्रतिमा, कांबळे सरोज, जातिसंस्था नारी, क्रांति अकादमी, धुळे,1999
3. डी. डी. कोसंबी, प्राचीन भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2010
4. सोनलकर वंदना और रेंगे शर्मिला, जातिव्यवस्था और नारी मुक्ति, सावित्रीबाई प्रकाशन पुणे, 2012